P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारतीय सेकुलरिज्म : संवैधानिक प्रावधान

एम. आरिफ खान
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली, भारत

सारांश

भारतीय राज्य की प्रकृति सेकुलरवाद की है। राज्य धर्म के साथ एक सान्दर्भिक दूरी रखता है। इस लेख में भारतीय संविधान में निहित उन प्रावधानों का विस्तृत चर्चा किया जाएगा जो इसकी सेकुलर प्रकृति को निर्धारित करता है लेख संविधान सभा में हुए आरंभिक बहस का भी अवलोकन करेगा जिसने सेकुलर मूल्यों को स्थापित किया है। 1977 में किस परिस्थिति में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया और कौन से नये प्रावधान बनाये गये इत्यादि प्रश्नों पर भी चर्चा किया जाएगा।

मुख्य शब्द : संविधान सभा की बहस, सेकुलरिज्म, साम्प्रदायिकता, 42वां संविधान संशोधन।

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को देश के संविधान का निर्माण करना था। अनेक प्रकार की विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं को भारत में राजनीतिक एकता मजबूत करनी थी, राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करना था। भारतीय समाज जातिवाद, संप्रदायवाद, धार्मिक अंधविश्वासों से ग्रस्त था, इसका समाधान करना आवश्यक था। विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक विकास जरूरी था। देश के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना आवश्यक था क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लोकतंत्र के बिना धर्मनिरपेक्षता मताग्रह की शिकार हो जाती। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता के अभाव में लोकतंत्र, रूढ़िवाद, अलगाववाद, तानाशाही अथवा फासीवाद का शिकार हो जाता है। निर्धनता, जातीय भिन्नता और विकास की समस्याओं की अत्यधिक जटिलता का परिवेश होने के बावजूद संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अपनाया तथा संविधान सभा के सदस्यों ने धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को संविधान में शामिल करने के लिए बहस की तथा संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द जोड़ने के लिए कई सदस्यों के मतभेद भी सामने आये।

शोध विधि

इस लेख में विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हुए सेकुलरवादी संवैंधानिक प्रावधान का अध्ययन करने के लिए सेकुलरिज्म संबंधी भारतीय संविधान सभा की बहस का विश्लेषण किया गया है साथ ही संविधान निर्माण के पश्चात् संविधान में दर्ज उन धाराओं का भी अध्ययन किया गया है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। और न्यापालिका के महत्पूर्ण निर्णयों को भी विश्लेषण आधार बनाया गया है।

साहित्यावलोकन

प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक शेफाली शाह कहती है[1] कि हमें संविधान के सपने को समझने के लिए के. एम. मुंशी की बातों को सुनना चाहिए जिन्होंने कहा था–"कि जिस प्रकार से अमेरिका में सेकुलरिज्म को समझा जाता है वह भारत के परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए हमें भारतीय सेकुलरिज्म ईजाद करना होगा। भारत राष्ट्र में जिस प्रकार से लोगों की धर्म के प्रति विशेष आस्था रहती है और दूसरे धर्मों के लिए सम्मान भी रहता है, उसका सम्मान होना चाहिए इसलिए भारत में राष्ट्र और धर्म के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से राष्ट्र और चर्च के बीच में अमेरिका में एक दीवार है राजीव भार्गव भी इस बात को मानते हुए कहते हैं कि भारत में राष्ट्र और धर्म के बीच में उचित दूरी जरूर है। लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि राष्ट्र, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हालाँकि वह हस्तक्षेप संविधान में लिखें दायरों के अंतर्गत ही होना चाहिए। हम इस बात पर अवश्य बहस कर सकते हैं कि राष्ट्र को किस हद तक धर्म के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए।

आशीष नंदी ने अपनी रचना 'An Anti-secularist Manifesto' में भारतीय सेकुलरिज्म की आलोचना की है। आशीष नंदी का मानना है कि भारत में सेकुलरवाद की आधुनिक अवधारणा पश्चिमी इतिहास से उधार ली गई है। इसलिए नंदी ने सेकुलरवाद की पश्चिमी व भारतीय अवधारणा में अन्तर करते हुए कहा है कि पश्चिमी अर्थ के अनुसार धार्मिक सहिष्णुता हासिल करने का केवल एक ही तरीका है कि लोगों की निगाह में धर्म के महत्व को कम किया जाये और राजनीति को धर्म से छुटकारा दिलाया जाये। इस दलील का आग्रह है कि राजनीति धर्म से जितनी कम प्रदुषित होगी राज्य उतना ही सेकुलर होता चला जाएगा। परन्तु नंदी का यह भी मानना है कि सेकुलरवादी व्यवहार ने कट्टरपंथी राजनीति को जन्म दिया है तथा दक्षिण एशियाई समाजों में धार्मिक सहिष्णुता के आयामों का प्रयोग किए बिना एक सहिष्णु समाज बनाने के प्रयोग के तौर पर सेकुलरवाद आज नाकाम हो चुका है।[2]

त्रिलोकी नाथ मदन की रचना 'Secularism in its palce' में मदन का मानना है कि सेकुलरवाद आधुनिक विज्ञान और प्रोटेस्टेंट मत के द्वंद्वात्मक संबंधों की देन है। दक्षिण एशिया की धार्मिक परंपराओं में इस उधार की विचारधारा के तत्व खोजना बेकार की चेष्टा है। सेकुलरवाद का भारतीय रूप रचने के लिए हमारे आधुनिकवादियों को समझना होगा कि धर्म को गंभीरतापूर्वक लिये बिना दक्षिण एशिया में सहिष्णु समाज संभव नहीं हो सकता। इसलिए मदन ने कहा है कि भारतीय सेकुलरवाद को 'सर्वधर्म सम्भाव' की संज्ञा दी जा सकती है तथा मदन निष्कर्ष निकालते हैं कि सेकुलरवाद का मतलब किसी भी धर्म को न मानने वाले की हैसियत भी भारत में धर्मावलंबियों जितनी ही हो, न ऊँची और न नीची।[3]

माधव हरदेवी का मत है[4] कि भारत के संविधान ने पंथनिरपेक्ष राज्य का आदर्श ग्रहण किया है, अर्थात राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य के पंथनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि राज्य का संबंध मात्र व्यक्तियों से है। राज्य ईश्वर संबंधी विचारो से पूरी तरह तटस्थ है। भारत के संविधान में व्यक्तियों को अनेक धार्मिक, विश्वासों, मान्यताओं, तथा परंपराओं को युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारिक लक्षण माना है, अर्थात पंथनिरपेक्ष राज्य के स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।

सेकुलरिज्म पर संविधान सभा की बहस

संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में केबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए थे। कांग्रेस को प्रान्तीय चुनावों में भारी सफलता मिली तथा संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य बहुसंख्या में थे। कांग्रेस को 212 सामान्य वर्ग की सीटों में 203 सीटें मिली तथा अन्य वर्ग में 4 मुस्लिम तथा 1 सिख सदस्य भी शामिल थे। इस तरह कांग्रेस को 296 सीट में 208 सीट मिली।[5] इस तरह से संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। इस प्रकार भारतीय संविधान पर कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव दिखता है। संविधान सभा में बहस के दौरान बहुत से सदस्यों ने कहा था कि संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता ही काफी सुरक्षा है तथा धर्मनिरपेक्षता मूलभूत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और सांप्रदायिक समस्या के लिए रामबाण साबित होगा।[6]

ब्रजेश्वर प्रसाद बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपने प्रस्ताव में संविधान की प्रस्तावना के पहले वाक्य में 'सेक्युलर' शब्द जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि उनका मानना था कि 'सेक्युलर' शब्द भारतीय राष्ट्रीय भावना के अनुकूल था और प्रस्तावना में इसका समावेश नकारात्मक गतिविधियों को रोकने के साथ–साथ अल्पसंख्यकों के मनोबल को भी मजबूत करेगा। दुर्भाग्यवश 'सेकुलरिज्म' शब्द पर कोई बहस नहीं हुई और बहुत से सदस्यों ने ब्रजेश्वर प्रसाद का ये कहते हुए उपहास किया कि वह संविधान को उदारवादी लोकतंत्र की बजाय समाजवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।[7] हालांकि इस भावना का समाजवाद या साम्यवाद से सीधा कोई सरोकार नहीं है।

के.टी. शाह ने सेक्युलर तथा सेकुलरिज्म शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए दो प्रयास किये। पहला, संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद में उन्होंने यह संविधान संशोधन प्रस्तावित किया कि ''भारत एक सेक्युलर समाजवादी राज्य संघ होगा।'' दूसरा, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने के लिए यह संशोधन पेश किया जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था हो कि भारत राज्य सेक्युलर होने के कारण धर्म, पंथ अथवा धार्मिक आचरण अथवा विश्वास से कोई संबंध नहीं रखेगा।[8]

3 अप्रैल 1948 को संविधान सभा में के.एम. मुंशी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि ''भारतीय सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि राष्ट्रीय एकता विकास और लोकतंत्र के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सांप्रदायिकता को भारतीय जीवन से निकाल दिया जाये।[9] मुंशी भारतीय जीवन से सांप्रदायिक को निकाल फेंकना चाहते थे और इसलिए सेकुलरिज्म की पर जोर दिया। कुछ इसी तर्ज पर अयंगर ने बहस में कहा था कि ''हम भारत को सेक्युलर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकुलरिज्म की से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी धर्म में आस्था नहीं रखते, या हमारा दिन–प्रतिदिन के जीवन में धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि राज्य या सरकार किसी एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध सहायता न दे।[10] भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में ये बात आवश्यक थी। इसलिए अयंगर भारत को सेक्युलर बनाना चाहते थे।

इसी तरह डॉ– राधाकृष्ण ने कहा कि ''जब भारत को सेक्युलर कहा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम धार्मिक जीवन की प्रासंगिकता को नकार रहे हैं या हम धर्म को उन्नत कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता का है जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भूमिका अदा करेगा।[11]

सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान निर्मात्री सभा में मूल अधिकारों तथा राज्यों के स्वरूप से संबंधित

उपसमितियों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों की स्थिति के विषय में बनी उपसमिति के भी अध्यक्ष थे। उनकी स्पष्ट राय थी कि भारत को यदि अखण्ड रखना है तो अल्पमत–बहुमत की धारणा को समाप्त करना ही होगा तथा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए सदैव कटिबद्ध थे। इसलिए उन्होंने संविधान में पृथक स्थान की मांग को ठुकरा दिया और उन्होंने किसी भी सांप्रदायिक आधार पर किसी भी स्थान को सुरक्षित न करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।[12] इस प्रकार की किसी भी मांग को कोई महत्व नहीं दिया क्योंकि सरदार पटेल पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध थे।

इसी तरह संविधान सभा बहस में महावीर त्यागी ने कहा था कि अनुसूचित जाति, सिक्ख, मुस्लिम और हिन्दू किसी को भी किसी भी तरह के आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक सेक्युलर राज्य हैं। इसलिए हम किसी भी धार्मिक समूह और व्यक्ति विशेष को कोई लाभ या आरक्षण नहीं देंगे।[13]

कृष्णस्वामी ने भी संविधान सभा में कुछ इसी तरह का दृष्टिकोण पेश किया कि ''समुदायों को नागरिक अधिकार के आधार पर स्थापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सेक्युलर राज्य में प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करने का अधिकार है जिसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं।[14] इस तरह कृष्णस्वामी का दृष्टिकोण था कि सेक्युलर राज्य के रूप में भारत के संविधानिक ढाँचे में धार्मिक समुदाय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान सभा की बहस में मौहम्मद इस्माईल लीग से मद्रास के सदस्य थे। उन्होंने पर्सनल लॉ के बचाव में तर्क प्रस्तुत किया कि ''किसी समूह या समुदाय के लोगों को अपने पर्सनल लॉ का पालन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है तथा पर्सनल लॉ का अधिकार जीवन व्यतीत करने का एक भाग है। ऐसे लॉ उनके धर्म और संस्कृति के भाग हैं। अगर कोई पर्सनल लॉ को प्रभावित करता है तो यह जीवन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के बराबर होगा तथा राज्य को जीवन की स्वतंत्रता और लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।[15]

इसी तरह पर्सनल लॉ पर महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने बहस में कहा था कि ''जो मानते हैं कि सेक्युलर राज्य में समान कानून होना चाहिए तथा नागरिकों के सभी मामलों में जिसमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके पर्सनल लॉ भी शामिल है इनमें भी समान कानून हो वे सभी दिशाहीन हैं जो ऐसा मानते हैं। बल्कि सेक्युलर राज्य में विभिन्न समुदाय के लोग रहते है उन्हें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने निजी जीवन और उनके पर्सनल लॉ उनके अनुसार ही लागू किये जाने चाहिए[16] तथा पर्सनल लॉ पर इनका मानना था कि प्रत्येक समुदाय के अपने पर्सनल लॉ होते हैं जो उनके धार्मिक जीवन और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। राज्य को इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य को ऐसे पर्सनल लॉ मानने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। राज्य द्वारा संरक्षित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिये जाने पर बहस में तजमूल हुसैन धर्म के अधिकारों को निजी धर्म की वकालत के रूप में परिभाषित नहीं करना चाहते थे परन्तु यह आग्रह करना चाहते थे कि धार्मिक निर्देश सिर्फ घर पर अभिभावक द्वारा मिलना चाहिए न कि शिक्षा संस्थानों में। तथा तजमूल हुसैन संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे प्रतीक, निशान या नाम नहीं होगा और न ही व्यक्ति ऐसे कपड़े पहनेगा जिससे उसका धर्म पहचाना जा सके।[17]

इसी तरह 30 अगस्त, 1947 को रेणुका रॉय ने एक संशोधन पेश किया कि कोई भी धार्मिक दिशा–निर्देश राज्य द्वारा संरक्षित विद्यालय या शिक्षा संस्थानों में नहीं दिया जाएगा।'' इसी तरह राधाकृष्ण ने इस संशोधन के पीछे तर्क प्रस्तुत किया कि ''हम एक बहुधार्मिक राज्य हैं, इसलिए हमें निष्पक्ष रहना है और विविध धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है। इसलिए राज्य द्वारा संरक्षित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या निर्देश नहीं दिये जा सकते।[18] इस दिशा में सेकुलरिज्म को और अधिक गूढ़बनाते हुए गुप्तांश सिंह ने कहा था कि ''राज्य सभी ईश्वरों का ईश्वर है। मैं कहना चाहूँगा कि राज्य लोगों का प्रतिनिधि होगा जो खुद में एक ईश्वर है।[19] संविधान सभा में दिए गए इन वक्तव्यों से स्पष्ट है कि संविधान निर्मातागण धर्म को निजी मामला मानते थेऋ धर्म के मामले में राज्य का दखल नकार दिया गया और समानता एवं स्वतंत्रता के साथ सेकुलरिज्म पर जोर दिया गया।

भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म संबंधी प्रावधान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है कि ''भारत एक सम्प्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। यह संविधान संशोधन आपातकाल 1975–1977 के दौरान किया गया था। भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म संबंधी संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं[20]–

संविधान के तीसरे भाग में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 14 भारत में कानून की सत्ता और सर्वोच्चता स्थापित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत की सीमाओं के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।[21] कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि जन्म, धर्म–पंथ या मत के आधार पर किसी को भी विशेष सुविधा नहीं मिल सकती।

अनुच्छेद 15 राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा तथा यह भी प्रावधान है कि धर्म, जाति व नस्ल आदि के आधारों पर किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, जलग्रहों, मनोरंजन स्थलों आदि में प्रवेश करने पर या राज्य के कोष द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त कुओं, तालाबों, सड़कों व सार्वजनिक विश्राम स्थलों के उपयोग पर कोई बाध्यता या अयोग्यता लागू नहीं की जा सकेगी।[22]

अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं के

लिए अयोग्य व अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा और न ही राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा इस उपबंध के द्वारा सभी धर्मों से पूर्ण तटस्था के संबंध का प्रावधान है।[23]

अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका पालन वर्जित है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार की अयोग्यता को लागू करना दण्डनीय अपराध होगा।[24]

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25,26,27,28, भारतीय संविधान नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो इस प्रकार हैः–

1–अनुच्छेद 25,अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता[25]– इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसके 4 प्रभाव हैं– अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, धार्मिक प्रसार का अधिकार

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों नागरिकों एवं गैर–नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। परन्तु अनुच्छेद 25(2) राज्य को ऐसी प्रक्रिया जो किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया जो धार्मिक व्यवहारों से संबंधित है को नियंत्रण या निषिद्ध करने का अधिकार देता है।

2–अनुच्छेद 26, धार्मिककार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता[26]– इसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगेः– धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम और स्थावर कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26धार्मिकसंप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं।

3–अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता[27]– इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतू बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख–रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है।

अनुच्छेद 28, धार्मिकशिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता[28]

अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत राज्य–निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती, जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो।

राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य–निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। आवश्यक के मामले में उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी इस तरह अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है– ऐसे संस्थान, जिनका पूरी तरह रख–रखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान, जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान, जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29,30)

अनुच्छेद 29,अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण [29]

अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, किसी भी नागरिक को राज्य के अन्तर्गत आने वाले संस्था या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका जा सके।

इस प्रकार पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से सम्बन्ध हो।

अनुच्छेद 30,शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार[30]

अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषायी को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है– सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारण क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं होंगे, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा।

इस तरह अनुच्छेद 29 और 30 में संविधान अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है ताकि धर्मनिरपेक्ष भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों की रक्षा की जा सके।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के निति निदेशक तत्व में से एक है तथा अनुच्छेद 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि ''भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी।''[31] तथा राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

संविधान का अनुच्छेद 51(क) में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 52 क(5) में वर्णित किया गया है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।''[32]

इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार व्यस्क मताधिकार प्राप्त है इसके अन्तर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम न हो के पास मत का अधिकार है। चाहे स्त्री हो या पुरुष या किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो उसे मत का अधिकार है तथा यही विशेषता धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की है। भारतीय सेकुलरिज्म की मुख्य विशेषताएँ और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है जब हमारा देश हमारे पड़ोसी देशों जो धर्मतन्त्र राज्य से घिरा हुआ है जैसे– पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, मुस्लिम राज्य के रूप में, उत्तर में नेपाल (हिन्दू राज्य) और दक्षिण में श्रीलंका (बौद्ध) राज्य के रूप में है।[33] इसलिए भारत में विविधता होते हुए भी भारत धर्मतन्त्र राज्य न होकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।

भारतीय न्यायालय द्वारा सेकुलरिज्म पर निर्णय

सेक्युलर होते हुए भी भारत को सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न संकटों का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसे राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ है जिन्होंने भारत के सेकुलरवाद पर प्रहार किया है या फिर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। कालान्तर में सेक्युलर शब्द का प्रयोग हर राजनीतिक दल मात्र एक नारे के रूप में करता है और सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्धता घटी है और सेक्युलर शब्द एक राजनीतिक शब्दावली बन गया है। सभी राजनीतिक पार्टी खुद को दूसरे से अधिक सेक्युलरघोषित करती हैं। इसलिए सेक्युलर शब्द एक राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि यह हमारे राजनीतिक प्रचार का तो भाग है परन्तु राजनीतिक दर्शन का नहीं।[34] समय–समय पर सेक्युलर शब्द का गलत प्रयोग हुआ है। इसलिए सेकुलरिज्म का बचाव करते हुए न्यायपालिका ने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इनमें सेकुलरिज्म को मजबूती मिली है।

मौहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 के मामले में गाय वध पर प्रतिबंध लगाने पर हनीफ का कहना था कि उसका धार्मिक सम्प्रदाय के अनुसार बकरीद के अवसर पर गाय की बलि की परंपरा है, जो उसका धार्मिक अधिकार है इसलिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है। परन्तु कोर्ट ने कहा कि राज्य गौ हत्या का निषेध कर रहा है– मुस्लिम धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा। कोर्ट ने कारण बताते हुए कहा कि कुरान में सिर्फ गाय की बलि चढ़ाने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। इसलिए कुरान गाय की बलि चढ़ाने का आदेश नहीं देता। इसलिए राज्य के पास गाय की हत्या निषेध करने का धर्मनिरपेक्ष कारण है और कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में केवल वही धार्मिक प्रथा शामिल है जो आवश्यक है।[35]

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 यह मामला भारतीय संविधान से संबंधित है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के मूल ढांचे को संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के सारे प्रावधान जिनमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं संशोधित किये जा सकते हैं फिर भी संसद संविधान का मूल ढाँचा जैसे सेकुलरिज्म, संघवाद, लोकतंत्र, शक्तियों का विभाजन आदि को परिवर्तित नहीं कर सकती तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान के मूल ढाँचे में शामिल है इसलिए धर्मनिरपेक्षता का संशोधन करके इसे हटाया नहीं जा सकता।[36]

बोम्मई निर्णय 1994– इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर संविधान आदेश देता है कि राज्य को विचार और प्रक्रिया से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए तो यही आदेश राजनीतिक दलों के लिए भी है तथा धर्म को राजनीति में लाने का मतलब है संवैधानिक व्यवस्था में असंतुलन बनाना। संविधान के अनुसार राजनीतिक पार्टी और धार्मिक संगठन एक साथ नहीं हो सकते तथा एक समय में कोई एक ही रूप हो सकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे से हटाने के लिए संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता और न ही संविधान बदला जा सकता है।[37] इस निर्णय से ज्ञात होता है कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इसलिए संसद भी संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता को नहीं हटा सकती।

मूल्यांकन

भारत जैसे बहुलतावादी देश में धर्मनिरपेक्षता अत्यावश्यक है क्योंकि आक्रामक धार्मिक चेतना न सिर्फ संकुचित एवं विकृत दृष्टिकोण है बल्कि यह कानून के शासन में बाधा है। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने 'हम भारत के लोग' से संविधान की शुरूआत की। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा हर वर्ग एवं व्यक्ति के लिए समानतावादी शासन व्यवस्था की गई। हालांकि संविधान बनाते समय 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि 'पंथनिरपेक्ष' 42वें संशोधन के बाद प्रयुक्त हुआ और इसमें ईश्वर विरोध नहीं है। धार्मिक मामले व्यक्ति के निजी मामले माने गए हैं। मूलतः सेक्युलर राज्य लोगों के हित और कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। राज्य धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी विशेष धर्म को किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध न बढ़ावा देता है और न ही प्राथमिकता देता है। इसलिए सेकुलरिज्म की अवधारणा लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर सेकुलरिज्म के विरुद्ध किसी वर्ग या समुदाय को प्रोत्साहित किया जाता है तो वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए भारत में सेकुलरिज्म को लोकतंत्र का अभिन्न अंग है के रूप में देखा गया और अपवाद को छोड़अधिकांश लोग इस भावना का समर्थन करते हैं। सेकुलरिज्म की प्रबलता को अगर कभी क्षति पहुँचाने का प्रयास भी हुआ तो देश का विशाल जनमत इसके समर्थन में हमेशा एकजूट दिखा। अनेकों चुनावी परिणाम इसे साबित करते हैं।

अंत टिप्पणी

1. *Parthasarathy, Suhrith, Understanding secularism in the Indian context, The Hindu,02JANUARY, 2018, https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-secular-condition/article22347527.ece*
2. *Nandy, Ashish, "An Anti-secularist Manifesto" India internatinalcentre Quarterly, vol.22,no.1*
3. *Madan,T.N, "Secularism in its palce" The Journal of Asian Studies, vol. 46, no.4 (No., pp. 747-759, http://www.jstor.org/stable/2057100*
4. *Hardevi, Madhav, Hkkjrh; lafo/kku esa /keZfujis{krk,] preamble, 27 April, 2017http://preamblecivilservices.in/blog_inner.php?id=176*
5. *Tejani,Shabnum,Indian Secularism A Social and Intellectual History 1890-1950 (Ranikhet Cantt : Permanent Black, 2007), page No. 241*
6. *Tejani, Shabnum,Indian Secularism A Social and Intellectual History 1890-1950 (Ranikhet Cantt : Permanent Black, 2007), page No. 236*
7. *Jha, Shefali, "Secularism in the Constituent Assembly Debates, 1946-1950", Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 30 (July 27-August 2.2002). pp. 3175-3180. http://www.Jstor.org/stable/4412419*
8. *Baird, Robertd., (ed.), Religiion and Law in Independent India (New Delhi : Manohar Publishers, 1993), page, 9*
9. *Constitutional Assembly Debate, Vol. VIII, 1949, page, 316*
10. *CAD, Vol. XI, page, 487*
11. *Kumar, V. Vijaya, "Constittuion and Secularism-A Rejoinder", page 84, http://www.manupatra.co.in/newsline/articles/upload/C8477B7A-FB28-4FE2-B70D-1664D7A4B59A.pdf.*
12. *कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल के महत्वपूर्ण निर्णय (दिल्ली : कल्पाज पब्लिकेशन्स, 2007), पृष्ठ 130, 131*
13. *CAD, Vol. VII, 8 November, 1948, page 362*
14. *CAD, Vol. VII, 9 November, 1948, page 366*
15. *CAD, 23 November 1948, page 540-541*
16. *CAD, 23 November 1948, page 544*
17. *CAD, Vol. VII, page 819*
18. *Jha, Shefali, "Secularism in the Constituent Assembly Debates, 1946-1950", Economic and Political Weekly, (New Delhi), vol. 37, no. 30 (July 27-August 2, 2002), pp. 3175-3180, http://www.jstor. org/stable/4412419*
19. *Ibid, page 3176*
20. *Yildrim, Sevali, "Expanding Secularism Scope, An Indian Case Study", The American Journal of Comparative Law, vol. 52, no. 4 (Automn, 2004), pp. 901-918, http://www.jstor.org/stable/4144469*
21. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14*
22. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 15*
23. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 16*
24. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 17*
25. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 25*
26. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 26*
27. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 27*
28. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 28*
29. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 29*
30. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 30*
31. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 44*
32. *भारतीय संविधान, अनुच्छेद 51क (5)*
33. *Shankhdher, M.M., (ed.), Secularism In India, Dilemmas an Challenges (New Delhi : Deep & Deep Publications, 1992), page 315, 322*
34. *Chakrabarty, Bidyut, (ed.), Secularism and Indian Polity (New Delhi : Segment Book Distributers, 1990), page 224*
35. *Yilidrim, Seval, "Expanding Secularism Scope : An Indian Cash Study", The American Journal of Comparative Low, vol. 52, no. 4 (Automn, 2004), pp. 901-918, http://www.jstor.org/stable/414469,*
36. *"Kesavanada Bharti v. state of Kerala", https://en.m.wikipedia.org/wiki/kesavanandaBharti_v._state_of-kerala?-e_pi_=7%CPAGE_1D%2C9310776262*
37. *Dhyani, S.N.,Secularism Socio-Legal Issues (New Delhi : Rawat Publications, 1996), page 167*